उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

परिपत्रांकः C-108 /लेखा–1/2016–17 दिनांकः 06–02.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या सी–99/16–17 दिनांक 24.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि शाखाओं द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि में से प्रतिदिन 80 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी, शेष 20 प्रतिशत धनराशि का उपयोग शाखा स्तर पर ऋण वितरण , प्रबन्धकीय व्यय व अन्य व्ययों में किया जायेगा।

इस बीच मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाए गए हैं कि धनराशि प्रेषण से सम्बन्धित उक्त सीमा के निर्धारण के पश्चात् बैंक की अधिकांश शाखाओं द्वारा ऋण वितरण एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान तथा अन्य व्ययों की पूर्ति 20 प्रतिशत धनराशि से नहीं हो पा रही है। यह भी तथ्य निरन्तर संज्ञान में लाए जा रहे हैं कि विमुद्रीकरण, प्रदेश में हो रहे विधान सभा सामान्य निर्वाचन तथा कतिपय अन्य अपरिहार्य कारणों से बैंक की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में मुख्यालय को धनराशि प्रेषण किये जाने से सम्बन्धित परिपत्र संख्या सी–99/16–17 दिनांक 24.12.16 में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई। ऋण अनुभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 31.01.17 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में बैंक द्वारा ऋण वितरण के लक्ष्य रू0 911.25 करोड के सापेक्ष मात्र रू0 290.99 करोड़ का ऋण वितरण हो सका है, जो गतवर्ष इसी अवधि के सापेक्ष 192.18 करोड रूपए कम है।

अतः उक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–99/16–17 दिनांक 24.12.16 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि शाखा स्तर पर प्रतिदिन वसूल की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत धन मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा, शेष 50 प्रतिशत धनराशि से शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति की जायेगी तथा उसी 50 प्रतिशत धनराशि में से ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तथा अन्य व्यय किये जायेंगे।

शाखा पर कार्यरत् शाखा प्रबन्धक सहित समस्त कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विशेष प्रयास कर वसूली की धनराशि में अपेक्षाकृत वृद्धि की जाये जिससे शाखाओं पर व्यय किये जाने वाली 50 प्रतिशत की सीमा की अनुमन्यता के अन्दर उनके ऋण वितरण एवं वेतन भुगतान व अन्य व्यय पूर्ण कर लिये जायें। यदि इस नीति के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी शाखा प्रबन्धक अथवा कार्मिक द्वारा मुख्यालय को उक्त धनराशि प्रेषण किये जाने में तथा शाखा स्तर पर नियमों का विचलन करते हुए धनराशि का व्यय किया गया है तो तदनुसार सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक/कार्मिक के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

06.02.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित+—

1— समस्त मण्डलीय/जिला पर्यवेक्षक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शाखा द्वारा वसूली की निरन्तर समीक्षा करते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले शाखा प्रबन्धकों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु समुचित प्रस्ताव प्रशासन को संदर्भित करें।

2— प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशि0केन्द्र, लखनऊ।

3— समस्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

4— उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को शाखाओं को ई—मेल करने हेतु।

(ए0के0 शुक्ला)
महाप्रबन्धक